महिला विकास और सरकारी प्रयास

*डॉ. श्रीमती उषा कहोल ** डॉ. श्रीमती कामिनी जैन
*** श्रीमती दुर्गेश शांडिल्य

शोधपत्र-गृहविज्ञान

वद नारी बिना कोडन्यो निर्माता मनु सन्तते।
महत्वं रचना शक्तेः स्वस्याः नार्माहिज्ञामताम।।

अर्थात् मनुष्य की निमात्री नारी ही है। स्त्री को अपनी शक्ति का महत्व समझना चाहिये। स्त्री से ही मनुष्य उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरू उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद ही निमित्त मात्र होती है। बाकी बालक के समस्त अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते है। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा अनुभूति होगी उसी के अनुरूप बालक का शरीर मस्ति क और स्वभाव बनेगा। स्त्रियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, पराधीन, कूपमंडूक और दीन हीन रहेगी तो उनके द्वारा उत्पन्न बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। यदि मनुष्य जाति उन्नति चाहती है, तो पहले स्त्री को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण और सुविकसित बनाना होगा तभी समाज में सफलता, सक्षमता, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का उदय हो सकता है।

शैक्षणिक विकास – समाज के हर व्यक्ति और हर वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिये महिलाओं को सक्षम बनाता है। देश में चलाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा पर काफी जोर दिया है, लेकिन विश्लेषण करने पर पता चलता है, कि महिलाओं की शिक्षा का प्रसार पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है, कि हमारे यहां साक्षरता दर तो लगातार बढ़ी लेकिन शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता काफी कम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर और भी कम है। म.प्र. में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनायें हैं – 1) लाड़ली लक्ष्मी योजना–लड़कियों के शिक्षा हेतु 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म लेने वाली बालिकायें जिनका आंगनवाड़ी में पंजीयन हो एवं माता–पिता आयकर दाता न हो तथा म.प्र. के मूल निवासी हों ऐसी बालिकाओं को आर्थिक सहायता। 2) गांव की बेटी योजना–बारहवीं कक्षा में गांव की शाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा के उच्च शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 5000 रू. की नगद सहायता देकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। 3) प्रतिभा किरण योजना–गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार की बालिका जो शहरी क्षेत्र की शाला से बारहवी कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करती है, उसे उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु प्रतिवर्ष 3000 रू. की नगद राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। 4) विक्रमादित्य छात्रवृत्ति–सामान्य वर्ग की बालिका जिसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता है, उसे उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृतित प्रदान की जाती है। 5) साईकिल प्रदाय योजना –अनु.जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिका जिसने दूसरे गांव/शहर की शासकीय शाला में प्रवेश लिया है। उसे शासन की ओर से निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। 6) गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना–बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु शासकीय एवं मान्यता प्राप्त शालाओं की अनु.जाति एवं जनजाति की छात्राओं को गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है। 7) न्या प्रोत्साहन योजना–अनु. जाति की छात्राओं को शिक्षा जारी रखने हेतु छात्रवृतित के अतिरिक्त कक्षा 6 में 500 कक्षा 9 में 1000 एवं कक्षा 11 में 2000 प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अनु.जाति एवं जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वसुविधायुक्त निःशुल्क छात्रावासों की सुविधा प्रदान कर महिला साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु शासन प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1) जननी सुरक्षा योजना–अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2003 को केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की

* प्राध्यापक गृहविज्ञान शास. सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल ** प्राध्यापक गृहविज्ञान शास. गृहविज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद *** सहा. प्राध्यापक गृहविज्ञान, शास. कन्या महाविद्यालय, बालघाट

इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 6 माह तक निःशुल्क उपचार सुविधायें मुहैया कराये जाने की व्यवस्था के साथ–साथ लाभार्थी महिला को आने–जाने के किराये के साथ पुत्र जन्म पर 500 तथा पुत्री के जन्म पर 1000 रूपये का आर्थिक अनुदान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 2) जीवन भारतीय महिला सुरक्षा योजना – 8 मार्च 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18–50 आयुवर्ग वाली महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। 3) राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना – महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना 19 अक्टूबर 1998 से प्रारंभ की गयी इसमें 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनके व्यवसाय को देखे बिना बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। 4) राष्ट्रीय मातृतव लाभ योजना – 1994 में प्रारंभ गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदाना करना। 5) मात एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम – वर्ष 1992 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य माँ और बच्चे को पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण के माध्यम से शिशु तथा मात मृत्युदर में कमी लाना। 6) किशोरी बालिका योजना – 1992 से प्रारंभ यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के स्वास्थ्य, पो ाण और शिक्षा की व्यवस्था करती है। 7) स्वास्थ्य सखी योजना – 1997 से ुरू यह योजना अनुसूचित/जनजाति की महिलाओं को गर्भावस्था प्रसव और शिशु स्वास्थ्य के विषय में प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करती है। 8) बालिका समृद्धि योजना –गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिका की मां को पौष्टिक आहार तथा बालिका को कक्षा दसवी तक की पढ़ाई हेतु नगद अनुदान प्रदान करती है। 9) ड्वाक्रा योजना–ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पो ाण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु 1982 से यह योजना प्रारंभ की गई। 10) महिला समृद्धि योजना–ग्रामीण महिलाओं को बचत करने की आदत डालकर उन्हे आर्थिक समभद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से 1993 से यह योजना अस्तित्व में आई। 11) न्यू मॉडल चर्खा योजना–ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया गया है।

भारत में महिला पुरूष साक्षरता दर

वर्ष	कुल साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	पुरूष साक्षरता दर
1951	18.33	8.86	27:16
1961	28.37	15.34	44:46
1971	34.56	21.97	45:95
1981	43.56	29.75	56:37
1991	52.17	39.42	63:86
2001	65.38	54.16	64:13

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला विकास से संबंधित कार्यक्रम हैः–पंचधारा योजना–मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 नवम्बर 1991 से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा योजना, प्रारंभ की गई, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच योजनाएं शामिल है, जो निम्नानुसार है :–1) वात्सल्य योजना– प्रसवकाल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना। 2) ग्राम्य योजना – ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना। 3) आयु मती योजना – अति गरीब महिलाओं के बीमार होने पर इलाज व पौष्टिक आहार का समुचित प्रबंध करने हेतु सरकारी सहायता।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश में महिलाओ की स्थिति अत्यंत दयनीय है। समाज में उन्हें वांछित स्थान दिलाने हेतु अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वास्तविकता यह है, कि महिलाओं की स्थिति बदलने के लिये तमाम सरकारी और कानूनी प्रयास तभी कारगर हो सकते है, जब समाज की सम्पूर्ण सोच, रवैये और पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणाओं में भी महिलाओं के प्रति बदलाव आये।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1) क्रॉनिकल यूरो–अगस्त 2004 2) भारतीय समाज– प्रो. एम.एल गुप्ता, डॉ. डी.डी. वार्मा 3) प्रतियोगिता दर्पण – अगस्त 2005 4) महिला जाग ति और कानून–प्रकाश नारायण नाटाणी 5) महिला विकास–स्वप्निल सारस्वत – नमन प्रकाशन – नई दिल्ली 6) रिसर्च लिंक–Issue 26 March 2006 7) रिसर्च लिंक –Issue 27 April Special 2006